न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः–14/2024 गौवंश अधिनियम

जी.सी.एम.एस. नंबरः 2024/222

थानाधिकारी, पुलिस थाना कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

——— **प्रार्थी**

बनाम

कालू बंजारा पिता अम्बालाल बंजारा पताः राणाकुडी, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर, राजस्थान

–– **विपक्षी**

परशुराम पिता गबा निवासीः 580, घाटी तलाई, करणपुर, जिला–उदयपुर

प्रार्थी/वाहन स्वामी

अपराध धारा 5,6,8, 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध प्रतिशेध और अस्थाई विनिमय प्रवास या निर्यात) अधिनियम 1995 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451–457 जा0फौ. बाबत सीजशुदा वाहन को सीजमुक्त किये जाने बाबत

उपस्थितः– 1. पेरोकार सरकार
2. श्री अभिमन्यु सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वाहन स्वामी

निर्णय

दिनांक– 21-10-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वाहनस्वामी श्री परशुराम पिता गबा निवासीः 580, घाटी तलाई, करणपुर, जिला–उदयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 जा.फ़ो. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाहन स्वामी का वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 22 जी.बी. 0123 को पुलिस थाना कुराबड़, उदयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में जब्त कर तहवील में ले रखा है जिसका प्रार्थी एकमात्र अधिकारग्रहिता स्वामी है। जिसकी वाहन स्वामी को अपने निजी एवं व्यावसायिक कार्यों में अत्यन्त आवश्यकता रहती है। उक्त वाहन पुलिस थाना कुराबड़ में पडा हैं बेवजह समुचित रख रखाव के अभाव में खराब होने तथा इसमें अभियांत्रिकी दोष उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। पुलिस थाना कुराबड़ को उक्त प्रकरण में उपरोक्त की आवश्यकता अनुसंधान में नही है। प्रार्थी आप न्यायालय में आदेशानुसार निर्धारित जमानत/बोण्ड पत्र प्रस्तुत करने व अन्य अधिरोपित शर्ते पूर्ण करने हेतु तत्पर है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी कुराबड़ से प्रकरण से संबंधित केस डायरी मंगवायी गई। थानाधिकारी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि दिनांक 06.04.2024 गश्त के दौरान सुरो का गुड़ा, टोडी होते हुए धोबी घाट पर सामने की तरफ से एक पिकअप आ रही थी। पिकअप चालक द्वारा पुलिस जाप्ता व थाने की जीप को देखकर पिकअप को तेज भगाया गया एवं आगे जाकर जीप को

जिला कलक्टर
उदयपुर

रोक दी। पिकअप के पास जाकर देखा तो उक्त पिकअप के नंबर आर.जे. 22 जी.बी. 0123 हो पिकअप के अंदर 4 बैल भरे हुए थे। पुछताछ करने पर पिकअप चालक ने अपना नाम कालु पिता अम्बा लाल बताया एवं बैलों को डबोक के आस पास से खरीदकर सलूम्बर की तरफ कृषि कार्य करने वालों को बेचना बताया। वैध परमिट एवं बैलों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बाबत् पुछा तो कोई बैध कागजात एवं बैलों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं होना बताया। उक्त चालक द्वारा पीकअप में बिना किसी वैध कागजात व बैलों के बिना स्वास्थ्य परीक्षण के परिवहन करना पाया गया, जो जुर्म अपराध राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 की धारा 5, 6, 8, 9 का पाया गया। मौके पर चिकित्साधिकारी पुश चिकित्सालय कुराबड से बैलो का स्वास्थ्य परीक्षण करा बैलों की देखभाल हेतु ईडाणा माताजी गौशाला, ईडाणा में जमा कराया गया। मामले में घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे जब्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है।

जब्त वाहन रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जब्त वाहन का प्रार्थी वाहन स्वामी है। वाहन से जब्त बैलों को पुलिस द्वारा ईडाणा माताजी गौशाला में रखा गया है। प्रार्थी को उक्त वाहन की अपने निजी व व्यावसायिक कार्यो में अत्यन्त आवश्यकता रहती है। उक्त वाहन पुलिस थाना कुराबड़ में पडा है बेवजह समुचित रख रखाव के अभाव में खराब होने तथा इसमें अभिांत्रिकी दोष उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। प्रार्थी आप न्यायालय में आदेशानुसार निर्धारित जमानत/बोण्ड पत्र प्रस्तुत करने व अन्य अधिरोपित शर्ते पूर्ण करने हेतु तैयार है अतः वाहन को रिलीज कराये जाने का आदेश फरमावे।

पेरोकार सरकार द्वारा उपर्युक्त तर्को का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

थानाधिकारी कुराबड़ की रिपोर्ट अनुसार वाहन का अनुसंधान हो चुका है एवं वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 22 जी.बी. 0123 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व पुलिस की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पिकअप एवं उसमें पाये गये 4 बैलों को पुलिस थाना कुराबड़ द्वारा जब्त किये गये हैं। पुलिस रिपोर्ट में इस गौवंश को पिकअप में ठूस ठूस कर कुरतापुर्वक भरकर परिवहन किया जाना बताया गया हैं। मौके पर सलूम्बर के आसपास के क्षेत्रों में क्रय–विक्रय किया जाना बताया हैं। गौवंश के परिवहन संबंधी इनके पास में कोई वैध अनुज्ञापत्र या परमीट नहीं पाया जाना बताया गया। राजस्थान गौवंशीय पशुवध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन संशोधन अधिनियम 2018 पश्चात धारा 6(क) की उपधारा (3) के अधीन यह प्रावधान है कि "जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के सम्बन्ध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी।" साथ ही जब्त पशुधन के सम्बन्ध में प्रकरण में राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा 7(1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जब कभी तलाशी

जिला कलक्टर
उदयपुर

या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यां निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गौवंशीय पशु अधिग्रहित किये जाये तो अधिग्रहित किये गये गौवंशीय पशु की अभिरक्षा मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओ के कल्याण के लिये कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक ऐजेन्सी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शास्ति किसी गौशाला या किसी भी गौसदन को सौंपी जा सकेगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार थानाधिकारी पुलिस थाना कुराबड़ द्वारा उक्त गौवंश को ईडाणा माताजी गौशाला को सुपूर्द किया गया।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि जब्त वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 22 जी.बी. 0123 का उपयोग पशुओं के अवैध परिवहन हेतु किया गया। साथ ही जब्त पशुओं के सम्बन्ध में भी कोई परमिट व वैध कागजात प्रस्तुत नही किये गये अतः जब्त वाहन को अधिहरण (Confiscation) करने के आदेश दिये जाते हैं।

इसी धारा के परन्तुक 3 अनुसार "यह भी कि इस उप–धारा के अधीन अधिहरण का आदेश करने के पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकने के प्रावधान होने से यदि वाहन स्वामी द्वारा जब्त वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 22 जी.बी. 0123 के बदले में बीमा में अंकित राशि 5,70,000 के समतुल्य राशि की समतुल्य हैसियत प्रमाण पत्र (Solvent Security) एवं मुचलका वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये जाते है तो जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप को उसके पंजीकृत स्वामी को रसीदन लौटाया जावे। अन्यथा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करायी जावें। वाहन इन शर्तो के साथ ही लौटाया जाये कि वाहन स्वामी द्वारा हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही के विचाराधीन वाहन को विक्रय नहीं करेगा एवं अस्थायी हस्तांतरण भी नहीं करेगा। जब भी न्यायालय को आवश्यकता होगी तब न्यायालय में पेश करेगा। एवं जब्त 04 बैलों को जिन्हें ईडाणा माताजी गौशाला को सुपूर्द किये गये थे उन्हें पशुओं के कल्याण के लिए स्थायी रूप से ईडाणा माताजी गौशाला को सुपूर्द कर न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना कुराबड़, व व्यवस्थापक ईडाणा माताजी गौशाला को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर